कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 757 / 1सी0 (वन) दिनांक 09/06/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/12845/2015** कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक सं0 3285/ FP/UK/ROAD/12845/2015 दिनांक 03.4.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित GIS Software द्वारा निर्मित Geo referenced digital map पर प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I में ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1– Geo referenced digital map (पेंज नं0 3)
2	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित कर निर्धारित कॉलम मे अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न 2**– डिजिटल मानचित्र (पेंज नं0 4)
3	मार्ग जहॉ से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग के कि0मी0 25 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में बैगनी रंग से दर्शाया गया है। **संलग्न 3**– स्वीकृति का पत्र (पेंज नं0 5 से 6)
4	लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 207/1सी0 वन दिनांक 01.03.2017 के द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति खुले प्रपत्रों में प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव को बाईडिंग कराकर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव की मूल कॉपी बाईडिंग कर प्रेषित कर दी गयी है। **संलग्न– हार्डकापी**
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को कमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	विषय सूची संलग्न कर पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
6	लागत लाभ विशलेषण भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्रात्मक रूप में भरकर संलग्न करे।	लागत लाभ विशलेषण भारत सरकार के निर्देशानुसार मात्रात्मक रूप में भरकर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न 4**– लागत लाभ विशलेषण (पेंज नं0 7–9)

7	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित है उस भूमि के नाम का उल्लेख करें।	प्रस्ताव में मक डिस्पोजल 0.400 हे0 आरक्षित भूमि, 0.050 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.050 हे0 सिविल भूमि में प्रस्तावित किया गया है। **संलग्न 5**– Detail of Muck disposal yards with land owner detail (पेंज नं0 10)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–1 में दिनांक की सूचना एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–2 में सभी बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से भरी जाये।	प्रपत्र 1 में दिनांक अंकित कर दी गयी एवं प्रपत्र –2 में आपके द्वारा अंकित की जानी है।
9	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र–3 भी भरवाकर संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
10	प्रभागीय वनाधिकारी की एस0आई0आर0 में दिनांक की सूचना रिक्त है।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
11	लम्बाई –चौडाई प्रमाण पत्र में मात्र वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण का उल्लेख किया गया है। अतः सही सूचना भरें।	लम्बाई–चौडाई प्रमाण पत्र में वनपंचायत/ सिविल/ आरक्षित वन भूमि का उल्लेख कर दिया गया है। **संलग्न 6– लम्बाई चौडाई प्रमाण पत्र (पेंज नं0 11)**
12	बांज के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
13	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक के सहमति का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु भू–वैज्ञानिक की रिर्पोट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः सही सूचना का उल्लेख किया जाय।	वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक के सहमति का उल्लेख त्रुटिवश अंकित कर दिया गया था। जिसे संशोधित कर दिया गया है। **संलग्न 7**– वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र **(पेंज नं0 12)**
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर अपलोड कर दी गयी है। **संलग्न 8**– क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना **(पेंज नं0 13–14)**
15	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 का आंकलन पुनः आंकलित कर संलग्न किया जाय।	एन0पी0वी0 का आंकलन पुनः आंकलित कर दिया गया है। **संलग्न 9– (पेंज नं0 15)**
16	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .shp file में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

वांछित सूचनाये निर्धारित कॉलम में पी0डी0एफ0 फार्मेट में आनलाइन अपलोड कर दी गयी है , प्रस्ताव की हार्डकापी के साथ मूल मे एवं पत्र के साथ छायाप्रतियो में संलग्न कर प्रेषित ।

अतः अनुरोध है कि प्रपत्रों की जॉच कर प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

9/6/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

9-6-2017